प्रतिलिपि क्रमांक 720-2 जी० एस०-I-73/10817 दिनांक 4-5-73, मुख्य सचिव, हरियाणा की ओर से हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष इत्यादि को प्रेषित है।

विषय :—पंजाब सिविल सर्विस (प्रमोशन आफ स्टैनोग्राफर एंड स्टैनो टाइपिस्टस) रूल्ज, 1961 के नियम 5(2) की स्पष्टता के बारे में।

---

उपर्युक्त विषय पर आपको सम्बोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंजाब सर्विस (प्रमोशन आफ स्टैनोग्राफरज एंड स्टैनो टाइपिस्टस) रूल्ज, 1961 के नियम 5(2) में निम्नलिखित व्यवस्था है :—

"The inter-se-seniority of such Junior Scale Stenographers and steno-typists vis-a vis Clerks shall be determined by the date of their continuous appointment against the post of Junior Scale Stenographers or Steno-typist of Clerk, as the case may be, and if the dates of their appointment be the same, the older shall be senior to the younger."

इस बारे में सरकार के नोटिस में आया है कि कई विभाग उपरोक्त नियम में प्रयोग किये गए शब्दो, as the case be का मतलब यह समझ रहे हैं कि लिपिकों/स्टैनो टाईपिस्ट तथा स्टैनोग्राफरज की सहायकों में इन्टर सी-सीनियोरिटी नियत करते समय स्टैनोटाइपिस्ट तथा जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर की respective पदों पर नियुक्ति की तिथियों से की गई लगातार सेवा को ध्यान में रखना है और यदि कोई व्यक्ति स्टैनोटाइपिस्ट के तौर पर भर्ती होकर जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर पदोन्नत हो जाता है और उसके बाद सहायक के तौर पर इन नियमों के तहत पदोन्नत होता है, तब भी उसकी जूनियर स्केल स्टैनो के पद पर नियुक्त की तिथि ही relevant समझी जायेगी न कि स्टैनोटाईपिस्ट के पद पर नियुक्त की तिथि। इस interpretation के अनुसार यदि कार्यवाही की जाये तो एक anamoloys पोजीशन पैदा हो जाने का खतरा है जिसका एक उदाहरण निम्नलिखित है।

यदि 2 व्यक्ति 'ए' तथा 'बी' एक ही तिथि को स्टैनो-टाइपिस्ट के पद पर नियुक्त किये जाने हो जिन में से 'ए' सिनियर हो और 'बी' जूनियर हो तथा कुछ समय बाद 'ए' को जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के पद पदोन्नत किया जाए व 'बी' स्टैनो के पद पर ही रहे। इसके बाद जब इनकी उपर्युक्त नियम 5(2) के तहत सहायक के पद पर पदोन्नती हो जाये तो 'बी' को 'ए' से ऊंची वरिष्ठता मिल जायेगी क्योंकि उसकी स्टैनोटाइपिस्ट के पद पर लगातार नियुक्ति की अवधि अधिक है जबकि 'ए' की जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के पद पर लगातार नियुक्ति की अवधि कम है।

2. अतः इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त रूल्ज बनाते समय सरकार का हरगिज ऐसा इरादा न था कि इस प्रकार की anamoly पैदा हो। मामले पर राज्य सरकार द्वारा विस्तार पूर्वक विचार करने के बाद यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त रूल्ज 5(2) में जो व्यवस्था है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के तौर पर सीधा नियुक्ति किया गया हो तब तो उसकी लिपिकों के साथ इन्टर-सी-सीनीयोरिटी उसकी जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के तौर पर नियुक्ति की तिथि से ही निश्चित की जाएगी किन्तु जो व्यक्ति पहले स्टैनोटाईपिस्ट के पद पर नियुक्ति किया गया हो (स्टैनोटाइपिस्ट का पद हर लिहाज से कलर्क के पद के बराबर है) तथा उस पद से जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के पद पर प्रमोट कर दिया गया हो तो बाद में सहायक के पद पर प्रमोशन होने पर उसकी लिपिको के साथ इन्टर-सी-सिनियोरिटी निर्धारित करने के लिये उसकी स्टैनोटाइपिस्ट के पद पर नियुक्ति की तिथि relevant होगी न कि जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के पद पर पदोन्नति की तिथि। यही स्थिति पंजाब सिवल सर्विस (प्रमोशन आफ स्टैनोग्राफर एंड स्टैनोटाइपिस्ट) रूल्ज 1961 के रूल्ज 4(2) तथा 6(2) के बारे में समझी जानी चाहिए यानि की जो व्यक्ति स्टैनोग्राफर के पद पर सीधा नियुक्त किया गया हो उसकी कलर्को के साथ इन्टर-सी-सिनीयोरिटी निर्धारित करने के लिये स्टैनोग्राफर के पद पर नियुक्ति की तिथि relevant होगी किन्तु जो व्यक्ति स्टैनोटाइपिस्ट के पद पर अथवा जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के पद पर नियुक्त किये गये हो और उन पदों से पदोन्नति पा कर स्टैनोग्राफर के पद पर नियुक्त किये गये हों तो कलैरिकल साईड पर पदोन्नति होने की सूरत में उनकी कलर्कों के साथ इन्टर-सी-सिनियोरिटी निर्धारित करने के लिये उनकी स्टैनोटाईपिस्ट/जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर (जो भी पहले हो) के तौर पर नियुक्ति की तिथि relevant होगी।

3. आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया नियमों के उपरोक्त स्पष्टीकरण को ध्यान पूर्वक नोट कर लें तथा अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में अनुपालना के लिए ला दें। कृपया इसकी पावती भी भेंजी जाये।